महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

प्रवेश नियमावली (परिसर एवम् महाविद्यालयों के लिए)

खण्ड 'क'

शैक्षणिक सत्र 2019-20

1. (क) विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय/वि.वि. स्तरीय प्रवेश परीक्षा अथवा वि.वि. स्तरीय केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के आधार पर किया जायेगा।

(ख) प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.05.2014 में संकायाध्यक्षों की संस्तुति के आधार पर विज्ञान एवं कला संकाय के विषय संयोजन (Subject Combination) का अनुमोदन किया गया। विज्ञान संकाय के अन्तर्गत निम्नलिखित समूह बनाया गया।

(A) बायो ग्रुप :

(क)	(ख)	(ग)
जन्तु विज्ञान अथवा इण्डिस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी अथवा बायोटैक्नोलॉजी	वनस्पति विज्ञान अथवा पर्यावरण विज्ञान	रसायन विज्ञान अथवा औद्योगिक रसायन अथवा सैन्य अध्ययन

(B) मैथ्स ग्रुप :

(क)	(ख)	(ग)
भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी अथवा औद्योगिक रसायन अथवा सैन्य अध्ययन	गणित

उक्त दोनों Groups के क, ख एवं ग में से अभ्यर्थी एक विषय का ही चयन कर सकता है।

कला संकाय के अन्तर्गत विषय संयोजना निम्नवत् होगा :–

(1) बी.ए. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में से एक विषय लेना अनिवार्य है।

(2) अभ्यर्थी अधिकतम दो साहित्यिक विषयों का चयन कर सकता है –
- (क) अरबी अथवा फारसी में से एक विषय।
- (ख) संस्कृत अथवा उर्दू में से एक विषय।
- (ग) अंग्रेजी साहित्य एवं हिन्दी साहित्य में से एक अथवा दोनों विषय।

(3) अभ्यर्थी महाविद्यालय में संचालित प्रायोगिक विषयों में से अधिकतम किन्हीं दो विषयों का चयन कर सकता है।

(4) अभ्यर्थी गणित अथवा सांख्यिकी में से एक विषय का चयन कर सकता है।

(5) अभ्यर्थी शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शनशास्त्र में से एक विषय का चयन कर सकता है।

(6) अभ्यर्थी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषय में से अधिकतम दो विषयों का चयन कर सकता है।

(7) अनिवार्य अर्हता विषय पर्यावरण की परीक्षा में प्रथम वर्ष में संस्थागत/भूतपूर्व तथा द्वितीय वर्ष में व्यक्तिगत छात्र ही सम्मिलित हों। पर्यावरण विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही तृतीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराया जाये। तृतीय

वर्ष के परीक्षा फार्म में छात्रों द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि वह पर्यावरण विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है।

2. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अर्हता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी। जैसा कि नीचे उल्लेख है।

3. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जिन पाठ्यक्रमों में परीक्षा सुधार/बेक पेपर परीक्षा/पूरक परीक्षा अगली परीक्षा के साथ होती है उनमें अगली कक्षा/सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार होगा।

(ख) 3(क) के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल एल.बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।

(घ) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को परीक्षा सुधार परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्ह होना चाहिए।

4. (क) परीक्षार्थियों को बी.ए./बी.एस–सी./बी.काम./एल–एल–बी.(सेमेस्टर सिस्टम)/बी.बी.ए./बी.सी.ए. की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में, एम.ए./एम.एस–सी./एम.काम./एल एल.एम./एम.बी.ए., पूर्णकालिक 4 वर्ष की अवधि में, बी.एस–सी. (कृषि) एवं बी.टेक./बी.ई. पाठ्यक्रमों की परीक्षा 8 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठयक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जायेगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है या परीक्षा दी हो। यह नियम व्यक्तिगत परीक्षार्थियों पर भी लागू होगा।

(ख) यू.एफ.एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वे परीक्षा से वंचित होते हैं। निरस्त की गयी परीक्षा की गणना वंचित में नहीं होगी।

(ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार द्विवर्षीय बी.एड. एवं एम.एड. प्रवेश की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष में उत्तीर्ण करना होगा।

5. परीक्षार्थी को 4 (क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

6. जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा के कारण अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रयोगों को पूर्ण करने के लिए भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी। भूतपूर्व विद्यार्थी वही होंगे जो संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुए हैं।

7. विद्यार्थी को किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेता है जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है अर्थात् दो पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प परीक्षार्थी को होगा।

8. (अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुनः किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।

(ब) यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो छात्र / छात्रा के पूर्व के स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् मात्र बी.एड./डी.एल.एड./बी.पी.एड में प्रवेश पाता है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा–

(क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

(ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित स्नातक पाठ्यक्रमों में ही अध्ययन कर सकेंगे।

(ग) यह नियम स्नातकोत्तर, प्रबन्धन विधि अभियान्त्रिकी कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।

(घ) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दंडित छात्र का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।

10. जिन विद्यार्थियों नें अदीब/अदीब–ए–माहिर/अदीब–ए–कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) होने पर स्नातक एवं (10+2+3) होने पर ही परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

11. (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रो को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जाएगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगे।

12. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्ताकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी।

13. बी.एड./एम.एड./ एम.एस–सी./एल एल.एम./बी. ई./बी.टेक./कक्षाओं में प्रवेश सम्मिलित प्रवेश परीक्षा के द्वारा होंगे। जब तक राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित न करे।

14. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक वह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रव्रजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।

15 विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उसको नियमित अर्थात संस्थागत छात्र के रूप में एल.एल.एम./एम.एड. MSW एप्लाइड क्लीनिक साइकोलॉजी को छोड़कर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

17. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता–प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकासी प्रमाण सहित कालेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।

18. एम.एस–सी. (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगा।

(क) निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों) से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी. एस–सी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45% से किसी भी दशा में कम न हो) और एम.एस–सी. /एम.ए. सम्बन्धित ऐच्छिक विषय जिसमें प्रवेश चाहता है उसमें 45 प्रतिशत अंक होना चाहिये। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियमानुसार 5% प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात उनके लिए 40% होगा।

(ग) छात्र एम.एस–सी.,एम.ए. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(घ) 1. एल.एल.बी. त्रिवर्षीय/एल.एल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक होने चाहियें। बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्राविधानित नियम III Rules of Legal Education के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) हेतु प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 42% निर्धारित की गयी है, अतः सामान्य जाति हेतु 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 40% प्राप्त अंक प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रहेगी।

2. प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गों में छात्राओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बी.सी.आई.) द्वारा जारी चैप्टर–II स्टैन्डर्ड ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन के रूल–10 का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(च) मास्टर ऑफ लॉ (एल एल–एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वे विद्यार्थी अर्ह होंगे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, की एल.एल–बी. (त्रिवर्षीय)/ एल एल.बी. **पाँच वर्षीय डिग्री प्राप्त की हो**। एल एल–एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।

(छ) एल०एल०बी० पाठ्यक्रम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

19. (क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुकदमें में शामिल है, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।

(ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना कर सकते हैं भले ही मामला जैसा भी हो।

(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किए गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ड.) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्राक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागीरी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

20. (क) बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के सामान्य नियम भी बी.एड. और एम.एड. के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

(ख) बी.एस–सी. (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इण्टरमीडिएट या इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान (बायोग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इण्टरमीडियेट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 प्रतिशत अंक घटाकर किया जायेगा। **स्पष्टीकरण**— गणित विषय की यह शर्त व्यक्तिगत विद्यार्थियों पर भी लागू होगी।

(ग) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता इण्टरमीडिएट गणित विषय होगी।

21.. एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेशार्थी को बी.काम. परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 5% अंकों की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एस–सी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में सहायक/गौण विषय के रूप में नहीं लिया है, को एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए./बी.एस–सी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा। बी.काम. या एम.काम. में किसी प्रकार के डिप्लोगा चाहे वह बोर्ड आफ एजूकेशन, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी बोर्ड से पास किया हो, के आधार पर छात्र प्रवेश का पात्र नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त माना जायेगा।

22. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य हैं। बी.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.काम. और एम.ए. अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एस–सी. गणित और कम्प्यूटर साइन्स में भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

23. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए पात्र नहीं होंगे।

24. जिन विद्यार्थियों ने जामिया–उर्दू, अलीगढ़ से अबीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

25. जिन अभ्यर्थियों ने यू.पी. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

26. उ.प्र. माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ, द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इण्टर के समकक्ष मानते हुए स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।

27. जिन विद्यार्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रमशः बी.ए. एवं एम.ए. संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।
स्पष्टीकरण— सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी. एड. में प्रवेश हेतु अर्ह है। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।

28. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिए नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपने ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।

29. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। महाविद्यालय/विभाग परीक्षा फार्म अस्थायी/अनन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।

30. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अर्थात जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

31. प्रवेश समिति दिनांक 5/3/02 के बिन्दु सं0 6 (1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत है:– ''सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी।

32. बी.टेक. एवं बी.फार्मा. उत्तीर्ण छात्र एल.एल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

33. प्रवेश समिति दिनांक 10–04–2018 के निर्णयानुरूप विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर के उन समस्त पाठ्यक्रमों में जो प्रवेश परीक्षा से आबद्ध नहीं है, विश्वविद्यालय स्तर पर Online Registration प्रणाली द्वारा प्रवेश प्रक्रिया अपनायी जायेगी। प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के उपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय/महाविद्यालयों में अपने पंजीकरण का प्रिन्ट आउट फोटोप्रति पूर्ण तथा सारी रिक्त प्रविष्टियों को स्वयं भरकर समस्त अंकतालिका एवं समस्त प्रमाण–पत्रों की फोटोप्रति संलग्न कर जमा करना होगा। सम्बन्धित महाविद्यालय योग्यता सूची तैयार कर विश्वविद्यालय के नियमानुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया अपनायेंगे।

34. वी.पी.एड. एवं बी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे।

35. विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी.एच.डी. के छात्र जो किसी कारण से एक कोर्स वर्क में शामिल नहीं हो सके अथवा अनुत्तीर्ण हो गये उन्हें अगले कोर्स वर्क में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा।

36. बी.काम. प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वहीं नियम लागू होंगे जोकि सामान्य बी.काम. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित हैं।

खण्ड–'ख'

विशेष निर्देश:

1. धर्म जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)

2. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 संख्या 1191/सत्तर–2–2010–3(58)/79 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2010 के अनुसार निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में लम्बवत् आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा।

(i) लम्बवत् आरक्षण :

पिछड़ा वर्ग	:	समस्त सीटों का 27 %
अनुसूचित जाति	:	समस्त सीटों का 21 %
अनुसूचित जनजाति	:	समस्त सीटों का 2 %

(ii) क्षैतिज आरक्षण :

क	स्वंत्रता संग्राम सेनानी के अश्रित के लिए	:	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
ख	उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को	:	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत

शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए	:	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
महिलाओं के लिए	:	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

3. **एम.एस–सी. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को काउन्सिलिंग के आधार पर सम्पूर्ण** पाठ्यक्रम के लिए सीट आबंटित होती है। अतः इनमें प्रवेश स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्राचार्य कोई अनापत्ति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेंगे। काउन्सिलिंग के आधार पर आबंटित सीटें एक संस्थान से दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित नहीं होगी।

4. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण , छात्रा के विवाह, माता–पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमन्य होगा।

5. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी। जिन परीक्षार्थियों ने सत्र 2015–16 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्होंने स्नातक प्रथम वर्ष में (संस्थागत) जुलाई 2019 में प्रवेश ले लिया है, इसी प्रकार सत्र 2015–16 में स्नातक उत्तीर्ण किया है है और जुलाई 2019 में परास्नातक में प्रवेश लिया है, उनके परीक्षा आवेदन पत्र 03 वर्ष से अधिक अन्तराल के आधार पर निरस्त नहीं किये जायेंगे। उन्हें सत्र 2019–20 की मुख्य परीक्षा में अनुमत किया जाये।

6. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शोध कक्षाओं यथा एम.फिल. एवं पी.एच–डी. में प्रवेश हेतु भी छात्र का 10+2+3 के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य है।

7. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।

8. प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे।

(अ)	(i)	राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय, खेल कूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक	
	(ii)	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक	
(ब)		विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक	
(स)	(i)	एन.सी.सी. के ''सी'' प्रमाण पत्र अथवा ''जी । '' प्रमाण पत्र	10 अंक	
	(ii)	''बी'' और ''जी ।'' प्रमाण पत्र के लिए	05 अंक	
(द)	(i)	एन.एस.एस के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	15 अंक	
	(ii)	एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक	
	(iii)	केवल 240 घंटे की सेवायें	05 अंक	

य	(i)12वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
	(ii) प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(iii) भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत	15 अंक
	(iv) रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	10, 05 अंक

नोटः किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी–अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु मात्र स्नातक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सापेक्ष भारांक ही अनुमन्य होंगे। इसके अतिरिक्त क्रमांक स,द और य में से केवल एक मद ही स्वीकार्य होगा।

9. स्पोर्टस कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

स्पष्टीकरण– बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व एम.एड. तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्ट्स कोटा मान्य नहीं होगा।

10. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अन्तिम वर्ष में जो विषय चुने गये हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर) तथा जिस विषय में प्रवेश चाहता है उसके अंक को सम्मिलित करते हुए योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश उन छात्रों को दिये जायेगे जिन्होंने इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) अथवा समतुल्य परीक्षा कामर्स से उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त स्वीकृत सीटों के सापेक्ष यदि कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं तो शेष सीटों पर अन्य वर्ग (गणित सहित) एवं गणित के छात्र उपलब्ध न होने पर अर्थशास्त्र विषय से इण्टर से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रवेश स्वीकृत किये जायेंगे।

ऐसे छात्र जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि से उत्तीर्ण की है एवं बी.ए. में प्रवेश चाहते हैं उनके 5 अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमन्य किये जायेंगे।

11. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताये प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।

12. ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय ब्रिज कोर्स की परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।

13. **M.A.** कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन–स्ट्रीम के लिए आरक्षित होंगी। नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य, विधि के स्नातक छात्र ही मान्य होंगे। अर्थात बी.ए. उत्तीर्ण छात्र ''नॉन स्ट्रीम'' के अन्तर्गत नहीं आएगा।यदि किसी छात्र ने बी.ए. तृतीय वर्ष में अमुक विषय नहीं पढ़ा है तो वह अमुक विषय के लिए नॉन–स्ट्रीम नहीं होगा।

14. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय **(NRI)** शुल्क एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो वहउसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

15. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही

ही प्रवेश दिया जाये।

16. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में नहीं हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में हो सकता है।

स्थानान्तरण के लिए छात्र कारणों का उल्लेख करते हुए दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तिरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं कराएगा। सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य स्थानान्तरण हेतु अनापूर्ति विश्वविद्यालय को तभी प्रेषित करेंगे जब प्रवेश नियमावली के बिन्दु सं. 4 की शर्ते पूरी हो रही हों।

स्पष्टीकरण– यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा। बिन्दु संख्या 04 की शर्तें उक्त स्थानान्तरण पर भी लागू होगी।

17. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।

18. डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु क्रमशः इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक अनिवार्य हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 % अंकों की छूट होगी।

19. महाविद्यालयों में चले रहे विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही अधिकतम प्रवेश संख्या 40 निर्धारित की जाती है, इससे अधिक प्रवेश किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होंगे।

20. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

21. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.07.2013 के पूरक कार्यवृत्त सं0 4 पर लिये गये निर्णयानुसार इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, (इग्नू) नई दिल्ली, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, (यू0पी0आर0टी0ओ0यू0) इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रवेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए0आई0यू0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश/परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी0पी0पी0 के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश/व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने संबंधी कार्यवाही न की जाय।

22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ5–1/2008 (सीपीपी–11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी) (NIT) को भारत सरकार के अधिनियम एन. आई.टी. एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तद्नुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है, इनसे प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा। (प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.08.12 द्वारा अनुमोदित)

23. प्रवेश नियमावली में जहाँ–जहाँ न्यूनतम अंकों को योग्यता के लिए निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलिता प्रदान नहीं की जाएगी अर्थात यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य हैं तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होगा।

कुलसचिव